संख्या-350/2016/1026जेपीआर/22-3-16-200(3)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर, 2016***

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ की महिला बंदियों-(1)गरीबी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद एवं (2)नेहा भाटिया उर्फ बाबी बालिया पत्नी श्री अनूप भाटिया को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-324/2016/4602जेएल/22-3-16-200(3)/2016, दिनांक 29-08-2016 के अनुक्रम में नारी बंदी निकेतन, लखनऊ की महिला बंदियों-(1)गरीबी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद एवं (2)नेहा भाटिया उर्फ बाबी बालिया पत्नी श्री अनूप भाटिया को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-350/2016/1026जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in